भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2984

08 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

†2984. **श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः**

श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाणः

श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर के महानगरों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत सस्ते आवास चाहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से पीएमएवाई-यू के अंतर्गत विशेषकर मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए सस्ते आवासों हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सीमा को संशोधित/पुनरीक्षित करने का कोई अनुरोध या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार का शहरी क्षेत्रों विशेषकर मुंबई महानगर क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। इस योजना को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी),

भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

i. भारत में कहीं भी लाभार्थी के या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
ii. सीएलएसएस घटक को छोड़कर, जिसमें निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लाभार्थी भी शामिल थे, 3 लाख रु. तक की वार्षिक घरेलू आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित परिवार।
iii. बीएलसी घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि का स्वामित्व।

(ख) से (घ) जून 2023 में महाराष्ट्र राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आय मानदंड बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, एमएमआर में एएचपी घटक के लिए ईडब्ल्यूएस आय मानदंड को 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया।
भारत सरकार पीएमएवाई-यू आईएसएसआर के तहत 1.0 लाख रुपये के एएचपी और बीएलसी घटकों के लिए 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान कर रही है। सीएलएसएस घटक के तहत, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 20 साल तक की ऋण अवधि के संबंध में गणना की गई ब्याज सब्सिडी के निवल वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रति आवास 2.67 लाख रु. तक की अग्रिम सब्सिडी प्रदान की गई थी। डीपीआर के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/यूएलबीए/लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है।

योजना के सीएलएसएस घटक को छोड़कर, योजना की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, को फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

******